प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायधिपति

माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायाधीश ।

विविध अपील (सिविल) संख्या 94 / 2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता : 1. आर. राजेंद्र प्रसाद, पिता श्री रामाराव प्रसाद, उम्र लगभग 48 वर्ष,

दावाकर्ता निवासी गौली पारा, बायरन बाजार, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) ।

2. आर. लक्ष्मी, पत्नी आर. राजेंद्र प्रसाद, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी गौली पारा, बायरन बाजार, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.) ।

बनाम

उत्तरवादीगण : 1.बांके बाबू शुक्ला, पिता श्री अश्विनी कुमार शुक्ला, राजिम, तहसील एवं जिला - रायपुर (छ.ग.) ।

2.श्रीमती सलमा बेगम, पत्नी श्री शेख हुसैन, निवासी नूरानी चौक, पंडरी सड़क, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.) ।

3.न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल प्रबंधक के माध्यम से, मंडल कार्यालय, प्रथम तल, मदीना भवन, जेल रोड, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.) ।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा **173** के अंतर्गत विविध अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता ।

उत्तरवादी नंबर 3 की ओर से : श्रीमती चित्रा श्रीवास्तव, अधिवक्ता ।

निर्णय

(31.03.2011)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायधिपति द्वारा पारित किया गया :-

1. मृतक हेमंत कुमार के दुर्भाग्यशाली माता-पिता, 10वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण संख्या 13 / 2005 में पारित दिनांक 25.01.2006 के निर्णय के तहत दिए गए प्रतिकर में वृद्धि के लिए इस अपील में हमारे समक्ष अपीलार्थी हैं ।

2. अपीलार्थीओं / दावाकर्ताओं, मृतक हेमंत कुमार के दुर्भाग्यशाली माता-पिता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर करके दिनांक 13.11.2004 को मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के लिए 25,00,000/- के प्रतिकर का दावा किया गया था; न्यायाधिकरण ने निर्णय पारित होने के 30 दिनों के भीतर बीमाकर्ता द्वारा प्रतिकर की राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में 6% प्रति वर्ष ब्याज के साथ कुल 1,32,000/- रुपये प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. न्यायाधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों की गहन जाँच के बाद यह माना कि दावेदारों के पुत्र हेमंत कुमार की मृत्यु दिनांक 13.11.2004 को मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी; दुर्घटना, पंजीकरण संख्या **C.G**-04 / 8969 वाले, दोषी वाहन मार्शल जीप के चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी; चूँकि दुर्घटना की तिथि को उपरोक्त दोषी वाहन मार्शल जीप, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी

लिमिटेड द्वारा बीमाकृत था और बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन सिद्ध नहीं कर सकी, इसलिए बीमा कंपनी दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी थी ।

4. चूंकि उत्तरवादीयों ने निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की है, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्ष अब अंतिम हो गए हैं ।

5. न्यायाधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में निर्धारित काल्पनिक आय के आधार पर मृतक की आय 15,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की । मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 15,000/- रुपये में से एक-तिहाई घटाकर, दावेदारों की आश्रितता 10,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई । 10,000/- रुपये की वार्षिक आश्रितता को 13 के गुणक से गुणा करने पर, प्रतिकर की राशि 1,30,000/- रुपये निर्धारित की गई । अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 2,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करके, न्यायाधिकरण ने दावेदारों को मोटर दुर्घटना में उनके पुत्र हेमंत कुमार की मृत्यु के लिए प्रतिकर के रूप में कुल 1,32,000/- रुपये प्रदान किए । न्यायाधिकरण ने 2,000/- रुपये की उपरोक्त प्रतिकर की राशि पर ब्याज के भुगतान का भी निर्देश दिया । बीमाकर्ता द्वारा निर्णय पारित होने के 30 दिनों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भीतर प्रतिकर की राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में 1,32,000/- @ 6% प्रति वर्ष ।

6. अपीलार्थीओं के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेश श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने मृतक की आय के बारे में दावाकर्ताओं के साक्ष्य को स्वीकार न करके और उसकी आय का आकलन केवल 15,000/- रुपये प्रति वर्ष करके तथा केवल 1,32,000/- रुपये का कम प्रतिकर देकर गलती की है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी संख्या 3, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती चित्रा श्रीवास्तव ने निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया 1,32,000/- रुपये का प्रतिकर वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सही और उचित प्रतिकर है ।

8. मोटर दुर्घटना दावे के मामले में, महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालयों / न्यायाधिकरणों द्वारा दिया जाने वाला प्रतिकर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत और उचित होना चाहिए । यह न तो प्रतिकर की मामूली राशि होनी चाहिए, न ही कोई बड़ी रकम ।

9. अब हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया 1,32,000 रुपये का प्रतिकर वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सही और उचित प्रतिकर है ।

10. यह सही है कि दावाकर्ताओं ने दलील दी कि उनका बेटा हेमंत कुमार कंप्यूटर मैकेनिक के रूप में 7,000 रुपये प्रति माह कमाता था, लेकिन इस संबंध में न्यायाधिकरण के समक्ष कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । मृतक के नियोक्ता या किसी सहकर्मी से न्यायाधिकरण के समक्ष मृतक के उपरोक्त व्यवसाय और उसकी 7,000 रुपये प्रति माह की आय को स्थापित करने के लिए पूछताछ नहीं की गई । साक्ष्य की इस स्थिति में, हमें मृतक की आय के बारे में दावाकर्ताओं के साक्ष्य को खारिज करने के न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं दिखता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. फिर भी, न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2004 में मृतक की आय 15,000 रुपये प्रति वर्ष आंकी गई है जो निश्चित रूप से कम है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है ।

12. अधिनियम की धारा 163-ए, जिसे द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत वर्ष 1994 में लागू किया गया था, इस प्रकार है :

"[163 ए. संरचित सूत्र के आधार पर मुआवजे के भुगतान के संबंध में विशेष प्रावधान - (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून या विधि का बल रखने वाले साधन में किसी बात के होते हुए भी, मोटर वाहन का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता, मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार, विधिक उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी विकलांगता" का वही अर्थ और विस्तार होगा जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रतिकर के किसी भी दावे में, दावेदार को यह तर्क देने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में दावा किया गया है, वह संबंधित वाहन या वाहनों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के किसी गलत कार्य या उपेक्षा या चूक के कारण हुई है ।

(3) केंद्र सरकार, जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, दूसरी अनुसूची में संशोधन कर सकती है ।

13. अधिनियम की धारा 163-ए की उपर्युक्त उपधारा (3) के तहत केन्द्र सरकार को जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है ।

14. चूँकि केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 163-ए की उपधारा (3) में दिए गए प्रावधान के अनुसार दूसरी अनुसूची में संशोधन करने में विफल रही है, इसलिए न्यायालय / न्यायाधिकरण वर्ष 1994 में दूसरी अनुसूची के लागू होने और दिए गए मामले में दुर्घटना की तारीख के बीच की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और जीवनयापन की लागत में वृद्धि का न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अब, वर्तमान मामले पर लौटते हुए, दुर्भाग्यशाली दुर्घटना जिसमें मृतक हेमंत कुमार की मृत्यु हुई, वर्ष 2004 में हुई थी । यदि 1994 और 2004 के बीच की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और जीवन-यापन की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखा जाए, तो वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित 15,000/- रुपये की काल्पनिक आय निश्चित रूप से वर्ष 2004 में 36,000/- रुपये हो जाएगी । इसलिए, हम मृतक की आय 36,000/- रुपये प्रति वर्ष मानते हुए प्रतिकर की पुनः गणना करने का प्रस्ताव करते हैं ।

16. यह देखते हुए कि मृतक हेमंत कुमार दुर्घटना की तिथि पर अविवाहित थे, सैयद बशीर अहमद और अन्य बनाम मोहम्मद जमील और अन्य [(2009) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 225] में दर्ज मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, 36,000/- रुपये का 50% उनके व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटा जाना आवश्यक है ।

17. इसलिए, मृतक के व्यक्तिगत व्यय के लिए 36,000 रुपये में से 50% की कटौती करके दावाकर्ताओं की आश्रितता 18,000 रुपये प्रति वर्ष आंकी गई है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. यह देखते हुए कि दावाकर्ता मृतक के माता-पिता हैं, इस मामले में उपयुक्त गुणक 10 से अधिक नहीं होगा, जैसा कि नगर निगम ग्रेटर बॉम्बे बनाम लक्ष्मण लायर और अन्य [(2003) 8 एससीसी 731] में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार है, जिसमें यह माना गया था कि उन मामलों में जहाँ दावाकर्ता मृतक के माता-पिता हैं, गुणक कभी भी 10 से अधिक नहीं होना चाहिए ।

19. 18,000 रुपये की वार्षिक आश्रित आय को 10 के गुणक से गुणा करने पर, प्रतिकर 1,80,000 रुपये होता है । दावाकर्ताओं को अंतिम संस्कार व्यय के लिए 5,000 रुपये और संपत्ति के नुकसान के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं । इस प्रकार, दावाकर्ता अपने बेटे हेमंत कुमार की मोटर

दुर्घटना में मृत्यु के लिए कुल 1,90,000 रुपये का प्रतिकर पाने के हकदार हो जाते हैं ।

20. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिकरण के समक्ष पक्षकारों के बीच किसी भी संभावित विवाद से बचने के लिए, दावाकर्ताओं को प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज प्राप्त करने की अवधि के बारे में, इस अपील में ही प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की राशि निर्धारित की जा सकती है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. दावा याचिका और वर्तमान अपील के निपटान में देरी सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले में संपूर्ण देरी के लिए अकेले बीमा कंपनी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, हम 58,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि पर ब्याज की राशि 7,000/- रुपये निर्धारित करते हैं ।

22. उपरोक्त कारणों से, दावेदारों द्वारा प्रतिकर बढ़ाने के लिए दायर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए 1,32,000/- रुपये के प्रतिकर को बढ़ाकर 1,90,000/- रुपये किया जाता है, साथ ही 58,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि पर 7,000/- रुपये का अतिरिक्त ब्याज भी लगाया जाता है ।

23. उत्तरवादी संख्या 3, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संबंधित दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कुल 65,000/- रुपये (58,000/- रुपये प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि के लिए + 58,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि पर ब्याज की मात्रा के लिए 7,000/- रुपये) जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है ।

24. वाद-व्यय के संबंध मे कोई निर्णय नहीं दिया जा रहा है ।

सही/- राजीव गुप्ता न्यायाधीश	सही/- रंगनाथ चंद्राकर न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.